उनवानः– दौजी बनाम दौलत

मु0न0:–14/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

दिनांकः– 21.01.2021

मु0न0 14/2021

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

1. दौजी पुत्र रामजीलाल
2. फरेबी पुत्र रामजीलाल
3. फिद्दू पुत्र रामजीलाल
4. मेधचन्द पुत्र रामजीलाल

जातियान मीना निवासी गोरडा तहसील टोडाभीम।

(सायल)

बनाम

1. दौलत पुत्र हरफूल
2. रामसिंह पुत्र प्रहलादी
3. विजय पुत्र प्रहलादी
4. संतोष पुत्र प्रहलादी

समस्त जाति मीना निवासी गोरडा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट

निर्णय — दिनांक 16.08.2024

सायलान द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गोरडा आराजी ख0न0 1024/0.07, 1051/0.30, 1384/0.18, 169/1674/0.01, 360/0.11, /0.11,476/0.02, 581/0.35, 68/0.03, 920/0.13, 978/0.15 कुल किता 11 कुल रकवा 1. है0 सायलान की खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी ख0न0 68/0.03, 476/0.02, /1674/0.01 को सेटलमेन्ट विभाग ने साबिक ख0न0 67/1242 रकवा 5 बिस्वा से बनाकर ीम किया है लेकिन उक्त तीनो खसरा नम्बरान को साबिक ट्रेसे मे एक ही स्थान पर अंकित करके अलग–अलग स्थानो पर अंकित कर दिया है जबकि सायलान अपने साबिक ख0न0 /1242 रकवा 5 बिस्वा के पूर्व स्थान पर काबिज चले आ रहे है। तथा आज भी उसी स्थान पर ाज है। वर्तमान ख0न0 169/1674 रकवा 0.01 है0 को नवीन ट्रेस मे अलग–अलग स्थान पर त कर दिया है जिससे गैरसायलान आये दिन सायलान को हैरान परेशान कर उन्हे बेदखल पर उतारू है तथा सायलान मौजूदा सीट मे अंकित ख0न0 68 के रकवा 0.01 है0 पर साबिक व स्थान के अनुसार काबिज है।

बॉका दिनांक 05.11.2020 को सायलान अपनी आराजी की देखभाल कर रहे थे कि ायल न0 3 आया तथा बोला कि तुमने हमारी आराजी पर कब्जा कर रखा है। उसे खाली करो, पर सायलान द्वारा यह कहने पर कि हमने तुम्हारी किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं कर रखा है तो इस स्थान पर बुजुर्गो के समय से ही 50 साल से भी ज्यादा समय से काबिज है। हमने ा परिवर्तन किया है। इतना सुनते ही गैरसायलान [illegible] ाजी से बेदखल करेगे और नवीन नक्शा सीट मे दुरूस्त कराने की कहा [illegible] करेगा। इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:14:32 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्वान्त भी सायलान के पक्ष मे है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायल को कोई क्षति किसी प्रकार की नही है। जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नही है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान बखिलाफ गैरसायलान बावत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायल को ता दावा फैसला जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबन्द किया जावे कि ग्राम गोरडा की आराजी ख0न0 68/0.03, 476/0.02, 169/1674/0.01 मे मजाहमत मदाखलत नही करे। नाही किसी अन्य से करावे, सायलान को बेदखल नही करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान की और से श्री रामअवतार शर्मा एडवोकेट ने उपस्थिति दर्ज करवाई लेकिन वकालतनमा पेश नही किया और दिनांक 04.09.2023 को गैरसायलान की और से बार—बार आवाज दिलवाये जाने के उपरान्त भी कोई उपस्थित नही होने से गैरसायलान के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

सायलान वकील की बहस सुनी गई। सायलान वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि कुल किता 11 कुल रकवा 1.46 है0 सायलान की खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी ख0न0 68/0.03, 476/0.02, 169/1674/0.01 को सेटलमेन्ट विभाग ने साबिक ख0न0 67/1242 रकवा 5 बिस्वा से बनाकर तरमीम किया है लेकिन उक्त तीनो खसरा नम्बरान को साबिक ट्रेसे मे एक ही स्थान पर अंकित नही करके अलग—अलग स्थानो पर अंकित कर दिया है जबकि सायलान अपने साबिक ख0न0 67/1242 रकवा 5 बिस्वा के पूर्व स्थान पर काबिज चले आ रहे है। तथा आज भी उसी स्थान पर काबिज है। वर्तमान ख0न0 169/1674 रकवा 0.01 है0 को नवीन ट्रेस मे अलग—अलग स्थान पर अंकित कर दिया है जिससे गैरसायलान आये दिन सायलान को हैरान परेशान कर उन्हे बेदखल करने पर उतारू है तथा सायलान मौजूदा शीट मे अंकित ख0न0 68 के रकवा 0.01 है0 पर साबिक सीट व स्थान के अनुसार काबिज है। परन्तु गैरसायलान द्वारा वादीगण को हैरान परेशान किया जा रहा है और बेदखल करने पर उतारू है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायल को ता दावा फैसला जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबन्द किया जावे कि ग्राम गोरडा की आराजी ख0न0 68/0.03, 476/0.02, 169/1674/0.01 मे मजाहमत मदाखलत नही करे। नाही किसी अन्य से करावे, सायलान को बेदखल नही करे।

सायल वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम गोरडा की जमाबन्दी सम्वत 2074—77 के खाता न0 100 मे ख0न0 68/0.03, 476/0.02, 169/1674/0.01 सायलान मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। गैरसायलान ने जरिये वकालतन उपस्थिति दर्ज करवाई लेकिन बाद मे न्यायालय द्वारा बार—बार आवाज दिलवाये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। उक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्या सायलान के पक्ष मे साबित है। प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे साबित है। **उक्त** वर्णित आराजीयात मे यदि गैरसायलान को पाबन्द नही किया जाता है तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः गैरसायलान को ता दावा फैसला पाबन्द किया जाता है कि ग्राम गोरडा की आराजी ख0न0 68/0.03, 476/0.02, 169/1674/0.01 है0 मे कब्जे काश्त मे मदाखलत, बेदखल नही करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:14:32 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 16.08.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी